[2022] 13 S.C.R. 227

फारूकी बेगम (दिवंगत)) विधिक प्रतिनिधि द्वारा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(सिविल अपील संख्या 1534 / 2009)

12 जुलाई, 2022.

[एस. अब्दुल नजीर और विक्रम नाथ, न्यायमूर्तिगण]

सरकारी अनुदान: भूमि की पुनर्वसूली - घोषणा और कब्जा के लिए याचिका - तथ्यों पर, उत्तर प्रदेश-प्रतिवादी राज्य ने, कलेक्टर के माध्यम से, भूमि संबंधित घोषणा, कब्जा और हानि के लिए याचिका दायर की कि यह एक सरकारी वाटिका थी और वर्तमान में यह उ.प्र. राज्य उद्यान विभाग के अधिकार में है। उक्त वाटिका पूर्व में रामपुर राज्य के शासक द्वारा प्रतिवादी-अपीलकर्ता को किराया मुक्त अनुदान के रूप में दिया गया था और बाद में 1930 में उसके उत्तराधिकारी द्वारा पुन: प्राप्त किया गया और इसके बाद, यह उत्तर प्रदेश राज्य के हाथों में आ गया। हालांकि, अपीलकर्ता ने अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में जारी रखने का प्रबंध किया, हालांकि उसका कब्जा हटा दिया गया। अपीलकर्ता का तर्क कि वे हमेशा के लिए कब्जे में थे और, इस प्रकार, 1952 के अधिनियम के आगमन पर उसके अधिकार, और इसमें पहले की कार्रवाई में राज्य ने प्रतिवादी के शीर्षक को स्वीकार किया - ट्रायल कोर्ट ने मुद्दे का फैसला प्रतिस्पर्धी के पक्ष में सुनाया - इसके अलावा, पहली और दूसरी अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी मान्यता दी गई - अपील पर, यह पाया गया: ना ही पहले की अनुदान को पुनः प्रारंभ करने का कोई आदेश और ना ही राजस्व अदालत का कोई आदेश जिसमें दिखाया गया हो कि कहा गया भूमि की पुनः प्राप्ति को राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया था - प्रतिस्पर्धी द्वारा प्रस्तुत एकमात्र सबूत था मुआफियत रजिस्टर की सच्ची प्रति और PW-2 , राजस्व विभाग में काम कर रहे क्लर्क की बयान, जो संदेह से मुक्त नहीं है और जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है- अनुदान की पुनर्वसूली को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था - इसके अलावा, प्रतिवादी ने पुनर्वसूली के बाद 1930 से कब्जे को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया - निचले अदालतों ने मान्यताओं और पूर्वधारणाओं पर कार्रवाई की है ताकि राज्य के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचाया जा सके - अपीलकर्ता ने अपने लगातार कब्जे को साबित करने के लिए केवल प्रलेखन सबूत ही नहीं दिखाया, बल्कि मौखिक सबूत भी प्रस्तुत किया, जिसे नकार दिया गया था - इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने संबंधित सामग्री पर ध्यान नहीं देने में गलती की और बजाय इसके अस्वीकार्य सबूतों पर भरोसा किया - यहां तक कि सबूत का भार भी अपीलकर्ता पर गलत तरीके से रखा गया है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है और - मामला उच्च न्यायालय को पुनः सौंपा जाता है - यू.पी. जमींदारी समाप्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1952

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अधिनिर्णय: 1.1 प्रतिवादी द्वारा प्रकटीकरण, कब्जा और मेस्न लाभ की राहत के लिए दायर मुकदमा इस तथ्य पर आधारित था कि 1924 में अपीलकर्ता के पक्ष में नवाब हामिद अली खान द्वारा दिए गए अनुदान को उसके उत्तराधिकारी, नवाब रज़ा अली खान ने 1930 में पुनः वसूल लिया, उसके बाद, प्रतिवादी ने कब्जा किया, रिकॉर्ड सही किए गए, हालांकि, अपीलकर्ता रिकॉर्ड की रख-रखाव में कुछ चूक के कारण, 1959 में पुनः कब्जा में आ गए और, इसलिए, उन्हें मुकदमा दायर करना पड़ा। यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी ने राजस्व अदालत के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड की सही करवाने का प्रयास किया, लेकिन इसे उप-संग्राहक द्वारा 1953 में अस्वीकृत कर दिया गया। [अनुच्छेद 13] (234; 235)

1.2 मुद्दा इस बात को साबित करने के लिए था कि अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए अनुदान का पुनः संचय हुआ था। इस उद्देश्य के लिए, ना तो पहले के अनुदान को पुनः संचय करने वाला कोई ऐसा आदेश प्रस्तुत किया गया था, और ना ही राजस्व अदालत का कोई आदेश प्रस्तुत किया गया था जिससे यह दिखाया जा सके कि अनुदान का कहा गया पुनः संचय राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। रक्षा की जा रही थी कि सभी रिकॉर्ड 1947 में आग में नष्ट हो गए थे। मुद्दाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एकमात्र साक्ष्य था एक सटीक प्रति 'मुआफियत रजिस्टर' का और PW-2 की बयान, जिसे कहा जाता था कि वह राजस्व विभाग में लिपिक के रूप में काम कर रहा था। [अनुच्छेद 14] (235)

1.3 अपीलकर्ता के वकील के अनुसार, मुआफियत रजिस्टर पर निर्भर न करने के लिए दो मूल आपत्तियाँ उठाई गई थीं। पहली, इसकी बाइंडिंग फटी हुई थी और इसमें ढीले पृष्ठ थे। दूसरी, पूरा रजिस्टर नीला-काला स्याही में लिखा गया था और सिर्फ उस भूमि का प्रविष्टि संबंधित था जिसका संचय हुआ था, वह काली स्याही में लिखा गया था। इन दोनों पहलुओं ने रजिस्टर में प्रविष्टियों की सत्यता पर संदेह डाल दिया और विशेष रूप से संचय से संबंधित प्रविष्टि पर। इस प्रलेख को इस प्रकार से शंका से मुक्त नहीं माना जा सकता था और इस पर निर्भरता नहीं की जा सकती थी। [अनुच्छेद 15] (235)

1.4 इसके अलावा, संचय को साबित करने के लिए प्रतिवादी/प्रतियाचिता द्वारा कोई अन्य साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया था। P.W-2 अपने क्रॉस-परीक्षण में, ढीले पृष्ठों, सूची अर्थात पहले पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ के लापता होने, और उस रजिस्टर में पृष्ठों की संख्या का कोई विवरण नहीं होने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। इसके अलावा, स्याही में अंतर के लिए और भी केवल उस पृष्ठ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था, जिस पर, विवादित भूमि से संबंधित संचय के प्रविष्टि की गई थी। अधीनस्थ अदालतों ने मुआफियत रजिस्टर में प्रविष्टियों पर केवल इस कारण भरोसा किया कि यह एक दस्तावेज था जिसे राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और राज्य को किसी भी प्रकार के हस्तांतरण करने का कोई कारण नहीं होगा। प्रश्न पूछे जाने वाली भूमि के संचय के संबंध में कोई अन्य समर्थन दस्तावेज नहीं था। [अनुच्छेद 16] (235)

1.5 उपरोक्त दस्तावेजों और बयानों को संदर्भित करते हुए, अपीलकर्ताओं के वकील ने यह दावा किया कि अधीनस्थ अदालतों द्वारा अपीलकर्ता के साथ गंभीर अन्याय किया गया है क्योंकि वे मान गए कि संचय हुआ, जब इस प्रभाव में किसी विश्वसनीय, विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था। प्रथम दृष्टिकोण में, अपीलकर्ताओं के प्रस्तुति में वास्तविकता है कि स्पष्ट रूप से संचय को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। [अनुच्छेद 17, 18] (236)

1.6 राज्य के एक श्रेणी-I अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष को आसानी से नकारा नहीं जा सकता था। यह सत्य है कि रिकॉर्ड संशोधन प्रक्रिया संक्षिप्त प्रकृति की होती है, परंतु जब निरीक्षण किया गया था, तो आदेश में अधिकार के बारे में दर्ज निष्कर्ष को नकारा नहीं जाना चाहिए था। [अनुच्छेद 21] (236)

1.7 प्रतिवादी/प्रतियाचिता ने 1930 के संचय के बाद निरंतर अधिकार में रहने के लिए कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया। अधीनस्थ अदालतें मान्यता और पूर्वधारना पर आधारित होकर अधिकार के प्रश्न पर राज्य के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुँचाई गई है और याचिका पास की गई है। [अनुच्छेद 22] (236)

1.8 प्रतिवादी/अपीलकर्ता ने अपने निरंतर अधिकार को साबित करने के लिए केवल प्रलेखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया, जिसे नकार दिया गया है। [अनुच्छेद 23] (237)

1.9 अपीलकर्ताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अदालतें प्रतिवादी-अपीलकर्ता के 19.07.1954 की तारीख़ के पत्र पर भरोसा करती हैं ताकि अनुमान लगाया जा सके कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता 1954 में अधिकार में नहीं था और इसी कारण वह पुनः अधिकार में लौटने के लिए आवेदन कर रही थी। उस पत्र की सामग्री को जाँचा गया है। इसके अनुसार, कुछ सरकारी जमीन है और विलय के बाद सरकारी उद्यान विभाग, रामपुर ने उसकी बागिचे पर अधिकार लिया है और किया गया अनुरोध था कि सरकारी उद्यान विभाग, रामपुर को उसके बागिचे से अपना अधिकार हटाने के लिए निर्देश दिया जाए ताकि वह अपने हिस्से का पूरा अधिकार प्राप्त कर सके। यह स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं को प्रदान की गई जमीन का कुछ हिस्सा उद्यान विभाग, रामपुर के अधिकार में था। [अनुच्छेद 24] (237)

1.10 अधीनस्थ अदालतों ने प्रतिवादी/प्रतियाचिता के पक्ष में अधिकार की पायी गई निष्कर्ष पर अधिक भरोसा किया है। उस पत्र पर हस्ताक्षर प्रतिवादी-/अपीलकर्ता द्वारा इनकार किए गए थे, परंतु इसे स्टेप-सिस्टर के भतीजे के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया गया था, बजाय इसके कि इसे हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित करवाया जाए। [अनुच्छेद 25] (237)

1.11 उच्च न्यायालय यह समझते हुए गलती में पड़ गया कि उसने प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान नहीं दिया और बजाय इसके, उसने अनमान्य साक्ष्य या उस साक्ष्य पर भरोसा किया जिसका निष्कर्ष पर कोई असर नहीं था। बोझ भी प्रतिवादी/अपीलकर्ता पर गलत तरीके से रखा गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सतर्कता से समीक्षा

करनी चाहिए थी और उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए था। अपील में विवादित उच्च न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है। मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है। [अनुच्छेद 29, 31] (238)

सिविल अपील अधिकारिकता: सिविल अपील संख्या 1534 / 2009

अल्लाहाबाद के न्यायिक परिषद की 21.07.2006 की तारीख के निर्णय और आदेश से, दूसरी अपील संख्या 813 /1975 .

अपीलकर्ताओं के लिए मिस नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ वकील, राहुल क्रिपलानी, मिस रश्मि नंदकुमार, विनूथना विंजम, वकील।

तन्मय अग्रवाल, वृक चटर्जी, प्रतिवादी के लिए वकील।

न्यायालय का निर्णय द्वारा प्रदान किया गया था

विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति

अपीलकर्ता ने अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 21.07.2006 को पास किए गए निर्णय और आदेश की सटीकता पर प्रश्न उठाया है जो दूसरी अपील संख्या 813 का 1975 में फारूकी बेगम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बीच था, जिसमें दूसरी अपील को खारिज कर दिया गया था, जिससे वर्तमान अपील को जन्म दिया गया।

तथ्य

2.. यू.पी. राज्य ने रामपुर के कलेक्टर के माध्यम से एक मुकदमा शुरू किया घोषणा, अधिकार और हानि के लिए जिला न्यायाधीश, रामपुर के अदालत में, जिसे मौलिक मुकदमा नं.1 की 1964 में पंजीकृत किया गया, यू.पी. राज्य बनाम स्मति फारूकी बेगम के संबंध में, जिसमें मुकदमे की ज़मीन 20 बीघा 10 बीस्वा (पुख्ता) मापती है, जो थोतर गाँव, सदर तहसील, रामपुर जिला में स्थित है, जिसे सरकारी बाग़ (जिसे 'बाग़ हजूर पसंद' के रूप में जाना जाता है) कहा जाता है और वर्तमान में यह यू.पी. राज्य बाग़ विभाग, रामपुर के है।

3. याचिका में दावा किया गया कि उक्त बाग़ प्रतिवादी की रेंट फ्री अनुदान थी, जो रामपुर राज्य के विलय से पहले ही था; और जैसे अन्य मुआफियात, इसे उसकी अलग-अलग पत्नियों को दिया गया था और जो पूर्व रामपुर राज्य के शासक की संतोष में पुनः आरंभ किया जा सकता था; नवाब हामिद अली खान की 1930 में मौत के बाद, उसके उत्तराधिकारी नवाब रजा अली खान ने अपने पिता की सभी विधवाओं, प्रतिवादी सहित, की सभी मुआफियात को पुनः आरंभ किया; उसी का कब्जा राज्य प्राधिकृत ने पुनरारंभ के तुरंत बाद ले लिया; उसी का प्रभाव राजस्व पत्रों में दिया गया था और संबंधित बाग़ राज्य (*शामिल खालसा*) ; प्रतिवादी और उनके कारपून ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत के माध्यम से उनका नाम पटवारी के रिकॉर्ड में जारी रखने का प्रबंध किया, हालांकि उनका कब्जा हटा दिया गया था;

सवाल में आया बाग समान रूप से पुनरारंभ किए गए बाग के साथ यू.पी. राज्य के हाथ में आ गया था, संघटन के समय; तब से राज्य अपने बाहर बेच रहा है; प्रतिवादी ने अपने नाम की निरंतरता के आधार पर, हालांकि अवैध रूप से, 1959 में भी राज्य के कब्जे में हस्तक्षेप किया, जिसमें उसने सवाल में आया बाग को अपनी संपत्ति में दावा किया; यू.पी. राज्य ने राजस्व रिकॉर्ड को सही करने के लिए कानूनी कदम उठाए, प्रतिवादी का नाम मिटा दिया और राज्य का नाम शामिल करने के लिए, लेकिन राजस्व अदालत ने राज्य की ऐसी प्रार्थना को खारिज कर दिया इसलिए मुकदमा दायर करने की जरूरत पैदा हुई।

4. फारूकी बेगम, एकल प्रतिवादी, ने लिखित बयान दायर किया जिसमें उन्होंने याचिका के आरोपों का खंडन किया, सिवाय इसके कि राजस्व अदालतों की प्रक्रिया उनके पक्ष में समाप्त हुई थी; इसके अलावा तर्क किया गया कि प्रतिवादी ने 1924 से लगातार कब्जा में रहा; मुकदमा में संपत्ति प्रतिवादी की संपत्ति थी जब यू.पी. जमींदारी समाप्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1952 का आरंभ हुआ और इस प्रकार अधिनियम के आरंभ पर प्रतिवादी 'भूमिधर' बन गए; प्रतिवादी द्वारा एक लद्दन खान के खिलाफ निकासी की प्रक्रिया में, राज्य एक पक्ष के रूप में था, प्रतिवादी के शीर्षक को स्वीकार किया गया था इसलिए याचिका अस्थायीपन से प्रतिबंधित थी; इसके अलावा, *बाग हुजूर पसंद* प्रतिवादी के कब्जे में था और यह उसकी खुद की संपत्ति थी और 13 बीघा 2 बिस्वा का आस-पास का बाग याचिका करता राज्य का बाग था और यह इसके कब्जे में था; इन दोनों बागों को एक नाला (नाली) द्वारा अलग किया जाता है; प्लेंटिफ ने एक गलत सलाह पर याचिका दायर की कि सवाल में आए बाग को पुनरारंभ किया गया था; लिखित बयान में अन्य रूप में रक्षा के तर्क भी उठाए गए थे।

5. मुकदमा चलनेवाली अदालत ने तर्कों के आधार पर मुद्दों को तैयार किया और पक्षों को उनके सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी। प्रतिवादी ने दिनांक 01.11.1965 को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VI नियम 17 के तहत लिखित बयान में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। मुकदमा चलनेवाली अदालत ने दिनांक 13.11.1966 के फैसले के माध्यम से मुकदमा को मान्य किया और उसी समय संशोधन आवेदन को तत्कालीन चरण में दायर होने के आधार पर खारिज कर दिया। दिनांक 13.11.1966 के उक्त फैसले के खिलाफ प्रतिवादी ने अपील की जो मौलिक रूप से उच्च अदालत में दायर की गई थी और जिसे पहली अपील संख्या 61 के रूप में पंजीकृत किया गया था 1967 में, लेकिन बाद में यह जिला न्यायाधीश, रामपुर की अदालत को स्थानांतरित कर दिया गया था, यू.पी. सिविल कानून संशोधन अधिनियम, 1970 के बाद।

6.जिला अधिवक्ता, रामपुर में, इसे सिविल अपील संख्या 50 के रूप में पंजीकृत किया गया था, 1970, स्मति। फारूकी बेगम बनाम यू.पी. राज्य। जिला अधिवक्ता, रामपुर, 08.09.1971 को दिए गए आदेश और आदेश में, 01.11.1965 की संशोधन को स्वीकार किया, मुख्य अदालत के 13.11.1966 के फैसले को अस्वीकार किया और मामले को मुख्य अदालत को मुद्दों के आवश्यक पुनर्मूल्यांकन और पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर के बाद ताजा निर्णय के लिए वापस भेज दिया।

7. पुनर्निर्धारण के बाद, मुख्य अदालत ने पहले से तैयार किए गए दस मुद्दों के अतिरिक्त चार और मुद्दे तैयार किए और पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी। मुख्य अदालत 01.05.1973 को दिए गए आदेश और आदेश में फिर से मुकदमा की स्वीकृति की।

8. प्रथम अपील जिसे आवेदक के रूप में पंजीकृत किया गया था, सिविल अपील संख्या 73, IInd अतिरिक्त जिला अधिवक्ता, रामपुर, ने 06.03.1975 को दिए गए आदेश में खारिज कर दिया। इससे आघातित होकर, प्रतिवादी ने उच्च अदालत में दूसरी अपील पसंद की जिसे दूसरी अपील संख्या 813 के रूप में 1975 में पंजीकृत किया गया था। इलाहाबाद उच्च अदालत के प्रतिष्ठित एकल न्यायाधीश ने 21.07.2006 को दिए गए आदेश और आदेश में दूसरी अपील खारिज कर दी जिससे वर्तमान अपील की प्रस्तुति हुई।

9.हमने अपीलकर्ताओं के लिए सीखी हुई वरिष्ठ परामर्शक मिस नित्या रामकृष्णन और राज्य के लिए श्री तन्मय अग्रवाल, प्रतिष्ठित परामर्शक से सुना है। पक्षों के प्रतिष्ठित परामर्शक ने हमें अभिलेख पर सामग्री से जानकारी दिलवाई है।

अपीलकर्ता के तर्क:

10. अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव आगे बढ़ाए गए हैं कि नीचे की अदालतों ने निम्नलिखित गंभीर विधिक त्रुटियां की हैं।

i. प्रमाण का बोझ प्रतिवादी-अपीलकर्ता पर गलत तरीके से स्थानांतरित किया गया।

ii. प्रतिवादी-प्रतिस्पर्धी के पक्ष में निष्कर्ष पंजीकृत करने के लिए अमान्य प्रमाण पर भरोसा किया गया।

iii. समान प्रमाण पर भरोसा किया गया बिना रिकॉर्ड-रखनेवाले को उसी का सबूत प्रस्तुत करने के लिए परीक्षण किए बिना।

iv. जिस सहायक प्रमाण पर भरोसा किया गया था उसमें भी हेरफेर और अंतर्निवेश की गंध थी, जिसे अवैध रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था।

v. प्रतिवादी-अपीलकर्ता के नाम में दस्तावेज़ तैयार किए गए थे, जिसे विशेष रूप से नकारा गया, लेकिन उस पर अवैध रूप से भरोसा किया गया।

vi. विवाह के संचार में पति द्वारा अपनी पत्नी के पक्ष में बिना किसी शर्त के दिए गए उपहार को वापस नहीं किया जा सकता था, इस मुख्य समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे न्याय में गंभीर त्रुटि हुई।

vii. प्रतिवादी-प्रतिस्पर्धी ने अपने मामले को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि उनके दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी मुकदमा पास किया गया।

viii. संबंधित और स्वीकार्य प्रमाण को अवैध रूप से नजरअंदाज किया गया।

ix. प्रतिवादी-प्रतिस्पर्धी की याचिका अस्पष्ट और विशिष्ट नहीं थी, और न ही प्रमाण से सही तरीके से स्थापित हुआ था, फिर भी मुकदमा पास किया गया।

x. प्रतिवादी-अपीलकर्ता शुरू से ही संपत्ति पर कब्जा में थी, और इस प्रकार, उन्होंने अपने अधिकार, शीर्षक और हित को सामंजस्यित कर लिया, जब U.P. जमींदारी समाप्ति और भूमि सुधार अधिनियम, 1951, लागू हुआ, जिस पहलु को ध्यान में नहीं लिया गया।

11.उपरोक्त सभी प्रस्तुतियों पर, अपीलकर्ता के वकील ने प्रमाण और संबंधित सामग्री को विस्तार से संदर्भित किया है, जिसे हम बाद में संदर्भित करेंगे।

12.दूसरी ओर, प्रतिवादी-प्रतिस्पर्धी के वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं

i. सभी तीन अदालतें नीचे तथ्य पर समान मत दर्ज की हैं और इस प्रकार, किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती हैं।
ii. एक बार जब प्रतिवादी और प्रतिवादक दोनों को प्रमाण प्रस्तुत करने का समान अवसर मिलता है, तो सबूत के भार को स्थानांतरित करने वाला तर्क अपना महत्व खो देगा।
iii. प्रतिवादी-प्रतिस्पर्धी ने अपने मामले को स्थापित करने के लिए स्थिर, विश्वसनीय और स्वीकार्य प्रमाण प्रस्तुत किया था।
iv. अदालतों ने इससे पहले सभी सामग्री को ध्यान में लिया है और इसकी उचित प्रशंसा के बाद, कानून के अनुसार, निष्कर्ष पंजीकृत किए गए हैं।
v. सभी तीन अदालतें ने सभी विशेष मुद्दों का सामना किया है और दोनों पक्षों द्वारा रखी गई सामग्री की उचित प्रशंसा के बाद अपने निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

<u>विश्लेषण:</u>

13. प्रतिस्पर्धी के द्वारा प्रकटीकरण, अधिकार और माध्यमिक लाभ के उपाय के लिए दायर मुकदमा उस समझाने पर आधारित था कि नवाब हामिद अली खान द्वारा 1924 में अपीलकर्ता के पक्ष में दिया गया अनुदान, उसके उत्तराधिकारी, नवाब रजा अली खान द्वारा 1930 में पुनः प्राप्त किया गया था, उसके बाद, प्रतिस्पर्धी ने अधिकार में प्रवेश किया, रिकॉर्ड सही किया गया, हालांकि, अपीलकर्ता कुछ अवज्ञा के कारण रिकॉर्ड की बनावट में, 1959 में पुनः प्रवेश किया और, इसलिए, उन्हें मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया गया। यह भी कहा गया है कि प्रतिस्पर्धी ने राजस्व रिकॉर्ड की सुधार के लिए एक आवेदन के माध्यम से राजस्व अदालत के माध्यम से रिकॉर्ड सही करवाने का प्रयास किया, लेकिन वही उप-संग्रहक द्वारा 1953 में खारिज कर दिया गया।

14. उपरोक्त तर्क पर, प्रतिस्पर्धी-उत्तराधिकारी द्वारा साबित करने की पहली चीज थी कि अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गए अनुदान का पुनः प्राप्त हुआ था। उस उद्देश्य के लिए, ना तो पूर्वानुदान को पुनः प्राप्त करने वाला कोई ऐसा आदेश दाखिल किया गया, और ना ही किसी राजस्व अदालत का आदेश दाखिल किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त अनुदान का पुनः प्राप्त हुआ था। यह बचाव लिया गया था कि 1947 में एक आग में सभी रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे। प्रतिस्पर्धी-उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत एकमात्र साक्ष्य था, मुआफियत रजिस्टर की सच्ची प्रति का दाखिल करना और PW-2 (रूप किशोर) की बयान, जिसे कहा जाता था कि वह राजस्व विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम कर रहा था।

15. हमने PW-2 के बयान की समीक्षा की है। अपीलकर्ता के प्रतिनिधि के अनुसार, मुआफियत रजिस्टर पर भरोसा न करने के लिए दो मौलिक आपत्तियां उठाई गई थीं। पहली, इसकी बाइंडिंग फटी हुई थी और इसमें ढीले पृष्ठ थे। दूसरी, पूरी रजिस्टर नीला-काला स्याही में लिखी गई थी और केवल प्रश्न के भूमि संबंधी प्राप्ति का प्रवेश काला स्याही में लिखा गया था। इन दोनों पहलुओं ने रजिस्टर में प्रवेश की सत्यता पर संदेह डाल दिया और विशेष रूप से पुनर्प्राप्ति संबंधित प्रवेश को। इस प्रकार, दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज था जो संदेह से मुक्त नहीं था और इस प्रकार, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।

16. इसके अलावा, पुनर्प्राप्ति का सबूत देने के लिए प्रतिवादी-उत्तराधिकारी ने कोई अन्य सबूत नहीं प्रस्तुत किया। पारंपरिक पूछताछ में PW-2 ने ढीले पृष्ठों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सूची अर्थात पहला पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ अनुपस्थित था, और उस सूची में पृष्ठों की संख्या का कोई विवरण नहीं था। इसके अलावा, स्याही में अंतर के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, और वह भी केवल उस पृष्ठ पर, जिसमें विवादित भूमि के संबंध में पुनर्प्राप्ति संबंधित प्रवेश किया गया था। अधीनस्थ अदालतें मुआफियत रजिस्टर में प्रवेश पर भरोसा किया, केवल इस वजह से कि यह एक दस्तावेज़ था जो राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और राज्य को किसी प्रकार के अंतर्क्रिया करने का कोई कारण नहीं होता। विवादित भूमि की मान्यता के संबंध में कोई अन्य समर्थन प्रलेख नहीं था।

17. उपर्युक्त दस्तावेज़ों और बयानों को संदर्भित करते हुए, अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अदालतों द्वारा पुनर्प्राप्ति का आरोप मानते हुए अपीलकर्ता को भारी अन्याय किया गया है, जब उस तथ्य के प्रति किसी विश्वसनीय, विश्वस्त प्रमाण की अनुपस्थिति में।

18.प्रथम दृष्टिकोण से, हमें अपीलकर्ताओं के वकील के प्रस्तुतिकरण में तत्परता महसूस होती है कि स्पष्ट रूप से अनुदान की पुनर्प्राप्ति को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

19.अधिकृतता के मुद्दे के संबंध में, अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह प्रतिवादी-अपीलकर्ताओं का विशेष मामला था कि वे 1924 में अर्थात अनुदान दिए जाने के समय से ही अधिकृतता में जारी रहे थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व अभिलेखों में लगातार प्रतिवादी-अपीलकर्ता की अधिकृतता दर्ज है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि

अनुदान के तहत दिए गए 20 बीघा और अजीब टुकड़ा ज़मीन एक *नाला (*नाली) द्वारा अलग होता था, जिसमें 13 बीघा और अजीब टुकड़ा ज़मीन था, जो राज्य सरकार के बागवानी विभाग के अधिकृतता में था और यह छोटा टुकड़ा ज़मीन था जिसे उत्तर प्रदेश राज्य, बागवानी विभाग द्वारा उसकी उसूली को बेचकर दिया गया था।

20. अगला प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी-प्रतिस्थापक द्वारा अभिलेखों की सुधार की प्रक्रिया में उप-संग्रहक ने स्थल पर निरीक्षण नहीं किया, बल्कि कई बार किया। अपने 03.01.1961 के आदेश में, राज्य के प्रतिवादी-प्रतिस्थापक के नाम को हटाने और प्रतिवादी-प्रतिस्थापक का नाम दर्ज करने के आवेदन को खारिज करते समय, स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता प्रश्न में रहनेवाली ज़मीन के अधिकार और कब्जे में थे।

21.ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य के एक वर्ग-I अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष को आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह सच है कि अभिलेख सुधार प्रक्रिया संक्षेप में है, लेकिन जब निरीक्षण किया गया था, तो कब्जे के बारे में आदेश में दर्ज निष्कर्ष को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए था।

22.इससे स्पष्ट है कि प्रतिवाधी-प्रतिस्थापक ने कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया कि यह पुनर्प्राप्ति के बाद से 1930 में लगातार कब्जे में था। अधीनस्थ अदालतें मानने और पूर्वधारनाओं पर आधारित होकर कब्जे के प्रश्न पर राज्य के पक्ष में तय करने और मुकदमा को हुक्म देने में आगे बढ़ गई हैं।

23. दूसरी ओर, हम पाते हैं कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने अपनी लगातार कब्जे को साबित करने के लिए केवल प्रलेखिक प्रमाण प्रस्तुत किया ही नहीं बल्कि मौखिक प्रमाण भी प्रस्तुत किया, जिसे नजरअंदाज किया गया।

24.प्रतिवादी-अपीलकर्ता की तरफ से आगे प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अदालतों ने प्रतिवादी-अपीलकर्ता के 19.07.1954 के एक पत्र पर भरोसा किया है ताकि अनुमान लगाया जा सके कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता 1954 में कब्जे में नहीं था और इसलिए उसने पुनः कब्जे में लाने के लिए आवेदन किया था। उस पत्र की सामग्री को देखा गया है। इसके अनुसार, सरकार की कुछ ज़मीन है और संघटन के बाद सरकार के बागवानी विभाग, रामपुर ने उसके बाग के ऊपर कब्जा किया है और किया गया अनुरोध था कि सरकार के बागवानी विभाग, रामपुर को उसके बाग से उनके कब्जे को हटाने के लिए निर्देश दिया जाए ताकि वह अपने हिस्से का पूरा कब्जा पा सके। इसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता को दिए गए ज़मीन के कुछ हिस्से को बागवानी विभाग, रामपुर के कब्जे में होने का मुद्दा था।

25 .इस पत्र पर अधीनस्थ अदालतों ने प्रतिवाधी-प्रतिस्थापक के पक्ष में कब्जे की खोज को दर्ज करने के लिए भारी रूप से भरोसा किया। प्रतिवादी-अपीलकर्ता द्वारा उस पत्र पर

हस्ताक्षर इंकार किए गए थे, लेकिन इसे स्टेप-बहन के भतीजे के माध्यम से साबित करने की कोशिश की गई थी, बजाय हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित करवाने के।

26. P.W.-3, शाकिर अली खान, जो स्वयं को बागवानी विभाग कार्यालय में लिखासय के रूप में तैनात एक लिपिक के रूप में बता रहे हैं, उन्होंने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह प्रतिवादी-अपीलकर्ता के हस्ताक्षर को पहचानते हैं क्योंकि उनकी पत्नी प्रतिवादी-अपीलकर्ता की बहन की सौतेली बेटी है। हालांकि, उनकी क्रॉस परीक्षण में, वह कहते हैं कि:

i. वह प्रतिवादी-अपीलकर्ता, फारूकी बेगम की बहन का नाम नहीं जानता है, जिनकी सौतेली बेटी उसकी पत्नी थी; वह उसके पिता का नाम भी नहीं जानता है; उसने प्रतिवादी-अपीलकर्ता के साथ कभी कोई पत्र आदान-प्रदान नहीं किया; उसने प्रतिवादी-अपीलकर्ता को पढ़ते और लिखते हुए नहीं देखा; उसका प्रतिवादी से कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रतिवादी के हस्ताक्षर को साबित करने के लिए पीडब्ल्यू-3 के बयान की विश्वसनीयता भी दूर से खींची गई और संदिग्ध प्रतित होती है। हम यहाँ भी ध्यान दें कि यदि कहा जाए कि उस पत्र में प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रतिवादी अपनी पूरी ज़मीन के ऊपर पूरी तरह से कब्जे की उम्मीद कर रही थी, बल्कि यह केवल उस भूमि के भाग के संबंध में था जहाँ सरकार के बागवानी विभाग ने स्थानांकन करते समय प्रतित होता है कि वह अवैध रूप से प्रवेश किया था।

27.प्रतिवादी-प्रतिस्पर्धी के वकील ने निचली अदालतों द्वारा दर्ज निष्कर्षों को उचित ठहराने का प्रयास किया है, फैसलों के विभिन्न हिस्सों को संदर्भित करते हुए और हमें प्रमाण पर भी ले जाते हुए।

28. प्रतिवादी-अपीलकर्ता की वकील ने जोर से तर्क किया कि मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के दौरान दिया गया उपहार अनिवार्य रूप से लौटाया नहीं जा सकता है। उसने उस प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए कुछ फैसलों पर भरोसा किया है। हम उस सवाल में प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त नहीं हैं क्योंकि प्रथम दृष्टिकोण में, हम इस विचार में हैं कि मामला उच्च न्यायालय द्वारा पुनः विचार की मांग करता है और ऐसा मुद्दा उस चरण पर उठाया जा सकता है।

29. हमने प्रस्तुत की गई तर्कों को सोच-समझकर देखा है और यह मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने संबंधित सामग्री को ध्यान में न लेते हुए गलती की और उस पर भरोसा किया जिस पर प्रमाणिकता नहीं थी या जिसमें निष्कर्ष पाने के लिए कोई महत्व नहीं था। प्रतिवादी-अपीलकर्ता पर भी बोझ गलत तरीके से रखा गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रमाण को ध्यान से जांचना चाहिए था और केवल उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था।

30.उपरोक्त दृष्टिकोण में, अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसे उचित रूप से स्वीकार किया जाता है।

31.अपील में विवादित उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द कर दिया जाता है। मामला उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है।

32. दूसरी अपील को इसके मौलिक नंबर पर पुनर्स्थापित किया जाए और उसे उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में पुनः सुना और निपटाया जा सकता है।

33. पक्षों के विद्यावत सलाहकार को उच्च न्यायालय के सामने सभी बिंदुओं पर बात करने की स्वतंत्रता होगी। वे उच्च न्यायालय के सामने अपील की सुनवाई में सभी सहयोग देने का प्रतिज्ञा करते हैं। हम उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि वह अपील को जितनी जल्दी संभव हो सके निर्णय करे।

निधि जैन अपील स्वीकार किया जाता है।
(सहायक: शश्वत जैन, एलसीआरए)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित